# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर

**पीठासीन अधिकारी :– संजय कुमार** आर.ए.एस.
**अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 129/2023**

साहबराम पुत्र श्री श्योंकरण राम जाति जाट उम्र 68 वर्ष निवासी – मदेरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर

—— **प्रार्थी**

**–:: बनाम ::–**

1. राजेन्द्र पुत्र श्री राम प्रताप जाति जाट निवासी– मंदेरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. सरकार – जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ।

– – **अप्रार्थीगण**

**प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री मनोहर लाल सहारण – – प्रार्थी
2. श्री सुभाष मिढ़ढा – – अप्रार्थी 1
3. पैरोकार राज – – अप्रार्थी 2

**–:: आदेश ::–**

**दिनांक :– 19.01.2024**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थी के नाम नहरी खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 7 डी बड़ी, पटवार हल्का मदेंरा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या नया 85 पुराना 40 के मुरब्बा नं. 41 के किला नं. 13/2 (0.025 हैक्टेयर), किला नं. 14 ता 23 सालम, किला नं. 24/1 (0.240 हैक्टेयर) कुल 2.795 हैक्टेयर रकबा राजस्व रिकाड में दर्ज है जिस पर प्रार्थी बतौर खातेदार काबिज काश्त करीबन पिछले 50 वर्षा से चला आ रहा है। जमाबंदी प्रति संलग्न है। अप्रार्थी के नाम नहरी खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 7 डी बड़ी, पटवार हल्का मदेंरा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या नया 103 पुराना 8 के मुरब्बा नं. 41 के किला नं. 1 (0.228 हैक्टेयर), किला नं. 2/1 (0.114 हैक्टेयर) व मुरब्बा नं. 42 के किला नं. 5,6,15,16,24,25 सालम दर्ज राजस्व रिकार्ड है । अप्रार्थी का उक्त वर्णित रकबा प्रार्थी के रकबा के साथ पश्चिमी दिशा में चिपता हुआ है। जमाबंदी प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी व अप्रार्थी एक ही वंश तथा परिवार के सदस्य है। प्रार्थी व अप्रार्थी की उक्त नहरी खातेदारी कृषि भूमि पैतृक है तथा पूर्व में दोनो की उक्त भूमि एक ही सयुंक्त खाता की भूमि थी। प्रार्थी अपनी नहरी खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 7 डी बड़ी, पटवार हल्का मदेंरा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या नया 85 पुराना 40 के मुरब्बा नं. 41 के किला नं. 13/2 (0.025 हैक्टेयर), किला नं. 14 ता 23 सालम, किला नं. 24/1 (0.240 हैक्टेयर) कुल 2.795 हैक्टेयर में आने जाने के लिये घरू बंटवारा अनुसार अप्रार्थी की नहरी कृषि भूमि चक 7 डी बड़ी के [illegible] किला नं. 25 के पूर्व दक्षिणी कोने में से होकर अपनी भूमि मुरब्बा नं. 41 [illegible] किला [illegible]1 में प्रवेश करता आ रहा है। उक्त रास्ता आज भी मौका पर चालू है। इस रास्ता के [illegible] भूमि में आने जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक [illegible] मौजूद नहीं है। [illegible] की अपनी खातेदारी नहरी कृषि भूमि वाके चक 7 डी बड़ी, पटवार हल्का मदेंरा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या नया 85 पुराना [illegible] किला नं. 14 ता 23 [illegible] किला 40 के मुरब्बा नं. 41 के किला नं. 13/2 (0.025 हैक्टेयर), किला नं. 14 ता 23 [illegible] किला

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:16:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर



Scanned with OKEN Scanner

नं. 24 /1 (0.240 हैक्टेयर) कुल 2.795 हैक्टेयर में आने जाने हेतु रास्ता की अत्यान्तिक आवश्यकता है इसलिए अप्रार्थी की कृषि भूमि चक 7 डी बड़ी के मुरब्बा नं. 42 के किला नं. 25 के पूर्वी–दक्षिणी कोना में 0.007 हैक. (1/2 बिस्वा) 46.5 गुणा 41.25 फुट) रास्ता स्वीकृत करना सुगम, निकटतम एवं न्यायोचित होगा तथा इस रास्ता में कम से कम भूमि आयेगी तथा अप्रार्थी को भी नुकसान ना के बराबर होगा। प्रार्थी ने उक्त वर्णित चालू रास्ता को स्वीकृत करवाने हेतु अप्रार्थी को कई बार कहा लेकिन अप्रार्थी टाल–मटोल करता रहा। अब अप्रार्थी ने दिनांक 27.05.2023 को एलानिया कहा कि मै जब चाहूं प्रार्थी को उसकी उक्त प्रार्थना–पत्र वर्णित भूमि में आने–जाने से रास्ता रोक सकता हूँ बस यही बिनाए खिलाफ अप्रार्थी, प्रार्थी को हासिल है इसलिए प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश करना न्यायहित में आवश्यक हो गया है। प्रार्थी उक्त स्वीकृत रास्ता में आई भूमि के बदले में श्रीमान न्यायालय के आदेशानुसार राशि जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के श्रवणाधिकार व अधिकार क्षेत्र का है जो पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को उसकी खातेदारी नहरी कृषि भूमि वाके चक 7 डी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नं. 41 की 2.795 हैक्टेयर में आने–जाने हेतु अप्रार्थी की खातेदारी नहरी कृषि भूमि चक चक 7 डी बड़ी के मुरब्बा नं. 42 के किला नं. 25 के में 0.007 हैक. (1/2 बिस्वा) 46.5 गुणा 41.25 फुट) रास्ता स्वीकृत किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसीलदार श्रीगंगानगर मौका की वस्तुस्थिति की पुनः रिपोर्ट तलब करने का निवेदन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रार्थी/प्रथम पक्ष के नाम से नहरी खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 7 डी बड़ी पटवार हल्का मंदेरा, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 85/40 के मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 13/2(0.025 है0), किला नम्बर 14 ता 23 सालम, किला नम्बर 24/1(0.240 है0) कुल 2.795 है0 रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा इस पर काबिज काश्त है। अप्रार्थी/द्वितीय पक्ष के नाम नहरी खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 7 डी बड़ी, पटवार हल्का मदेरां तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 103/8 के मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 1 (0.228 है0), किला नम्बर 2/1(0.114 है0) व मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 24, 25 सालम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा इस पर काबिज काश्त है। दोनो पक्ष एक ही परिवार व वंश के सदस्य हैं तथा दोनो पक्षों की उक्त वर्णित भूमि पैतृक है और प्रथम पक्ष की भूमि के साथ द्वितीय पक्ष की भूमि जो कि मुरब्बा नम्बर 42 किला नम्बर 5,6,15,16,25 पश्चिमी दिशा में चिपती हुई स्थित है, प्रथम पक्ष द्वारा अपनी कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 41 में आने–जाने हेतु रास्ता बाबत् विवाद द्वितीय पक्ष के साथ चल रहा है जो श्रीमान जी के विचाराधीन है। दोनो पक्षों का बिरादरी व पंचायत के मौतबिरान व्यक्तियों ने आपस में बिठाकर राजीनामा करवा दिया है दोनो पक्षों में अब कोई मन–मुटाव नहीं रहा है राजीनामा अनुसार उक्त अनवानी प्रकरण में चाहा गया रास्ता द्वितीय पक्ष की कृषि भूमि चक 7 डी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 25 के पूर्वी–दक्षिणी कोना में 0.003 है0 (1/4 बिस्वा) (16.5गुणा20.5 फुट) रास्ता स्वीकृत राजीनामा अनुसार करवाना चाहता है। मुरब्बा न[illegible] में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता मौजूद नही है। प्रार्थी/प्रथम पक्ष द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत कर [illegible] ई में गैर–मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाता है तो द्वितीय पक्ष/अप्रार्थी को किसी प्रकार [illegible] कोई उज्र ऐतराज या आपत्ति नही है। अप्रार्थी/द्वितीय पक्ष मुरब्बा नम्बर 42 के किला [illegible] के पूर्वी दक्षिणी कोना में रास्ता स्वीकृत कराने के लिये सहमत व रजामन्द है, रास्ता [illegible] आयी भूमि के बदले में प्रार्थी प्रथम पक्ष से अप्रार्थी/द्वितीय पक्ष ने अपना समस्त प्रतिफल/[illegible] रुपये (अखरे आठ हजार सात

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:16:42 IST
Reason: SelfAttested

Bam/o
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर



Scanned with OKEN Scanner

सौ पचास रूपये) नगद प्राप्त कर लिये हैं। अब दोनो पक्षों के बीच रास्ता में आयी भूमि का कोई लेन–देन बाकी किसी किस्म का नही रहा है। दोनो पक्षों की सहमति से रास्ता मौका पर चालू है। इस राजीनामा के आधार पर दोनो पक्ष उक्त प्रकरण में निर्णय करवाना चाहते हैं। लिहाजा उक्त राजीनामा प्रकरण के उभय पक्षकारान ने आपसी सहमति व रजामन्दी से अपनी स्वेच्छा से बिना किसी दवाब व नशा पत्ता के अपने पूर्ण होश–हवास में लिखकर राजीनामा कर पढ़कर सुनकर सही मानकर अपने–अपने हस्ताक्षर किये हैं कि सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी एव अप्रार्थी द्वारा आपसी सहमति से प्रकरण में राजीनामा पेश किया जा चुका है। प्रकरण में अब किसी भी प्रकार को कोई विवाद नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर चक 7 डी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 25 के पूर्वी–दक्षिणी कोना में 0.003 है0 (1/4 बिस्वा) (16.5 गुणा 20.5 फुट) रास्ता स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार श्रीगंगानगर नियमानुसार राजस्व अभिलेख में रास्ते का अंकन करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 19.01.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:16:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner